FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

रुघवीरसिंह बनाम अजायबसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 123/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
13-02-2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी की जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा भूमि में अप्रार्थी सं01 जबरदस्ती बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज व जवाब प्रार्थनापत्र का अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्ते प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तिनीय क्षति को साबित करने में असफल रहा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी की जरिये ईकरारनामा खरीद शुदा भूमि के मौके/कब्जे से अप्रार्थी सं01 जबरदस्ती बेदखल करें तो इसके लिए कानून मे प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें चाराजोही कर वह अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः यह प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	